

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, बुलन्दशहर

**Unusable, outdated and faulty Computer equipments की नीलामी
हेतु संशोधित नियम व शर्तें**

न्यायालय सम्बंधी डाटा की संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुये निष्प्रयोज्य कम्प्यूटर सिस्टम एव सहवर्ती उपकरणों की नीलामी हेतु पूर्व में पारित नियम व शर्तों में निम्न संशोधन किया जाता है।

- 1- उक्त निष्प्रयोज्य कम्प्यूटर सिस्टम एव सहवर्ती उपकरणों की नीलामी हेतु उन्हीं निविदाकर्ताओं को ही वरियता दी जायेगी जो पूर्व में अन्य किसी भी जनपद के न्यायालयों या सरकारी विभागों में नीलामी प्रक्रिया में प्रतिभाग कर चुके होंगे। इस आशय का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 2- जो व्यक्ति नीलामी प्रक्रिया हेतु निविदा फार्म प्रस्तुत करेगा उसे जिला अधिकारी द्वारा निर्गत अपना चरित्र प्रमाण पत्र भी फार्म के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 3- इसके अतिरिक्त पूर्व में पारित नियम व शर्तें यथावत रहेगी।


(विवेक कुमार-I)
अध्यक्ष

ओल्ड कम्प्यूटर हार्डवेयर नीलामी समिति/
अपर जनपद न्यायाधीश
जनपद न्यायालय, बुलन्दशहर

5/1/23

प्रतिलिपि:-

1. नोटिस बोर्ड, जनपद न्यायालय, बुलन्दशहर।
2. नोटिस बोर्ड, कलेक्ट्रेट, बुलन्दशहर।
3. स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु सूचना अधिकारी, बुलन्दशहर।
4. सिस्टम आफिसर को जनपद न्यायालय, बुलन्दशहर की वेबसाइट पर अपलोड करने तथा माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर उचित माध्यम से अपलोड कराने हेतु।